



Neutral Citation No. - 2026:AHC:481

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43249 वर्ष 2025

सौरभ शुक्ला

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: ऋषभ अग्रवाल, शांतनु राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष मल्होत्रा, राज्य-प्रतिवादियों के लिए ब्रीफ होल्डर की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक

सौरभ शुक्ला की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उन्हें मुकदमा अपराध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 457/2025, उत्तर प्रदेश की धारा 2/3 के तहत, पुलिस स्टेशन भोंगांव, जिला मैनपुरी में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एक मामले का आपराधिक इतिहास पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जा चुका है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 3 नवंबर 2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **सौरभ शुक्ला** को उपरोक्त मामले में, मुकदमा अपराध संख्या के आधार पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक मामले की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बयान दर्ज होने की तारीखों पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।
- (i) मामले की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर आवेदक स्वयं उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा जब गवाह ट्रायल न्यायालय में उपस्थित हों।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

05 जनवरी 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।